राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर

Phone No. : 0141-2740440, 2740553, **Fax No.** : 0141-2740930, 2740440

Email : rajsldbjaipur@yahoo.co.in, **website** : www.rsldb.nic.in

क्रमांकः फा.62(1) आवि / 5 % ब्याज छूट योजना / 2019–20 / 23162–211 दिनांक : 20.12.2019

सचिव
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
समस्त।

विषय :– दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 2019–20

प्रसंग :– कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक फा050(3)सविरा / मोने / एस.ए. / बजट घोषणा 17–18 (बि.स.109) / 2017 दिनांक 20.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। योजना के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2019–20 में बनने वाली मॉग का वर्ष 2019–20 में ही पूर्ण चुकारा करने वाले कृषकों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा।

अनुमोदित 5 प्रतिशत ब्याज योजना की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2020 के मध्य प्राथमिक बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान तथा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2017–18 (दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018) तक की अवधि में वितरित ऋणों पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा देय रियायत राशि के दावा प्रपत्र परिशिष्ठ–1 एवं 2 (संलग्न) में तैयार कर योजना में अंकित समस्त शर्तों / प्रावधानों / निर्देशों की पालना करते हुए योजनानुसार कार्यवाही की जावे।

योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन शर्मा)
महा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोने.), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक।
3. उप महाप्रबन्धक, लेखा एवं वित्त / वसूली / निरीक्षण एवं सुपरवीजन / प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग, बैंक।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., क्षेत्रीय कार्यालय समस्त।
5. वरिष्ठ प्रबंधक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक

महा प्रबन्धक

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

क्र:फा.50(3)सविरा / मोने / एस.ए / बजट घोषणा 17–18(बि.सं.109) / 2017 दिनांक 20-12-19

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
जयपुर।

URGENT
PED

विषयः– वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों हेतु 5 प्रतिशत ब्याज योजना अनुमोदन उपरान्त भिजवाई जा रही है। अनुमोदित योजना में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

996
20/12/19

(पंकज अग्रवाल)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग)

S.N. 51 (2)

848
20/12/019

28

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

अति-आवश्यक

2781

क्रमांकः प.17(12)सह / 2017 जयपुर, दिनांकः 20.12.2019

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
राजस्थान; जयपुर।

विषयः वर्ष 2019–20 के हेतु प्रस्तावित 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांक फा. 50(3)सविरा / मोने / एस.ए. / बजट घोषणा बि.सं. 109 / 2017 दिनांक 14.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों हेतु 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, 2019–20 का समसंख्यक पत्रावली की नोटशीट के अनु. 203–204 / एन् में वित्त विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी (आई.डी.सं. 101905475 दिनांक 17.12.19) के अनुसार अनुमोदन किया जाता है।

वित्त विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी एवं अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया वित्त विभाग की टिप्पणी एवं अनुमोदित योजना में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(नारायण सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

20/12/19.

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों हेतु 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, 2019–20

सहकारी भूमि विकास बैंकों के दीर्घकालीन ऋणी कृषकों में ऋणों का समय पर चुकारा करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 से दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

उक्त योजना को गत वर्षों की भाँति वर्ष 2019–20 में भी लागू रखते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज़ दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ नोडल एजेंसी, Rajasthan State Land Development Bank Ltd (RSLDB), Jaipur, के माध्यम से दिया जायेगा। इस हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान संशोधित आय–व्ययक अनुमान, 2019–20 में कराया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा।

योजना की शर्ते एवं प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

(1) पात्रता :

1. राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण ही योजनान्तर्गत ब्याज दर में 5 प्रतिशत वार्षिक अनुदान के पात्र होंगें। पात्र उद्वेश्य निम्नानुसार हैं :–
   - **लघु सिंचाई** – नवकूप/नलकूप, कूप गहरा, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण इत्यादि।
   - **कृषि यंत्रीकरण** – ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर इत्यादि।
   - **कृषि सम्बद्ध गतिविधियां** – डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि कय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबन्दी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी कय हेतु इत्यादि।
2. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु, पात्र उद्देश्यों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2014 से 31.03. 2020 तक वितरित ऋणों की वित्तीय वर्ष 2019–20 में बनने वाली मॉग का समय अथवा समय से पूर्व चुकारा करने वाले ऋणी कृषकों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वर्ष 2019–20 में इन ऋणों की बनने वाली ब्याज की माँग पर प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत कम हो जाएगी।
3. इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणी कृषक द्वारा मूलधन एवं ब्याज की मांग का वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ही चुकारा किया जाना आवश्यक होगा।
4. योजनान्तर्गत पूर्व में वितरित ऋण, जो अभी तक अदत्त (unpaid) है, उनके अन्तर्गत वर्ष के दौरान देय होने वाली किश्तों का भी कृषक द्वारा समय पर चुकारा किया जाता है तो उस पर भी ऋणी कृषक को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जावेगा।
5. ऋण/ब्याज की मांग का वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान चुकारा करने में चूक करने वाले ऋणी कृषकों को योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान सहायता तत्काल रोक दी जावेगी एवं

संयुक्त शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर